# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—317/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/317)**

1. रामदेव पुत्र श्री हालू
2. गुमानी पुत्री श्री हालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 गोपाल पुत्र गुमानी (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1/1 श्रीमती कमला पत्नि श्री गोपाल
   2/2 श्रीमती बसन्ती पुत्री गुमानी
3. जमनी पुत्री श्री हालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 रामचन्द्र पुत्र जमनी
   3/2 श्रीमती रतनी पुत्री जमनी
   3/3 मीरा पुत्री जमनी
4. गंगादेवी पुत्री श्री हालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   4/1 राजू पुत्र श्रीमती गंगादेवी
5. कमलादेवी पुत्री श्री हालू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/1 मानसिंह पुत्र श्री पदमा (कमला देवी पत्नि मानसिंह)
   5/2 रणजीत पुत्र कमलादेवी
   5/3 जयसिंह पुत्र कमला देवी
   5/4 भरत पुत्र कमला देवी
   5/5 बीरी पुत्री कमला देवी
6. श्रीमती सोनी पत्नि श्री छोटू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/1 मोसमी पुत्री छोटू
   6/2 शाना पुत्री छोटू
   6/3 नारायणी पुत्री छोटू
   6/4 नारंगी पुत्री छोटू
   6/5 मेवा पुत्र छोटू
   6/6 रतन पुत्र छोटू
   6/7 प्रकाश पुत्र छोटू
   6/8 भंवरलाल पुत्र छोटू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/8/1 गंगा पत्नि भंवरलाल
   6/8/2 सांवरा पुत्र भंवरलाल
   6/8/3 शैरू पुत्र भंवरलाल
   6/8/4 जाना पुत्री भंवरलाल
   6/8/5 मोहनी पुत्री भंवरलाल
   6/8/6 ममता पुत्री भंवरलाल

   समस्त जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर जरिए मुख्त्यारआम रामदेव पुत्र श्री हालू जाति रावत, निवासी सेदरिया हाल निवास रिछमालिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. हरजी पुत्र गोमा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 श्रीमती हगामी बेवा हरजी
   1/2 महेन्द्र पुत्र हरजी
   1/3 ज्ञानी पुत्र हरजी
   1/4 श्रवण पुत्र हरजी

   समस्त जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर।
2. बन्ना पुत्र गोमा (मृतक) जरिए वारिसानः—

2/1 श्रीमती मोडी उर्फ लक्ष्मी पत्नि स्व0 श्री बन्ना जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर।
3. उगमसिंह पुत्र श्री लादू (मृतक)
4. गुमान पुत्र श्री शंकर (शंकर पुत्र श्री घीसा)
5. नारायण पुत्र श्री शंकर (मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/1 सोहन पुत्र श्री नारायण
   5/2 कैलाश पुत्र श्री नारायण
   5/3 सांवरलाल पुत्र श्री नारायण
   5/4 किशन पुत्र श्री नारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/4/1 पुष्पेन्द्र पुत्र श्री किशन
   5/4/2 देवेन्द्र पुत्र श्री किशन
6. हनुमान पुत्र श्री भोला (भोला पुत्र श्री दूला)
7. श्रीमती चन्द्रकांता पुत्री मानमल
8. बीरम पुत्र श्री गोपी (गोपी पुत्र श्री जोधा)
9. श्रवण पुत्र श्री छीतर (छीतर पुत्र श्री जोधा)
10. धन्ना पुत्र श्री बिरदा (बिरदा पुत्र श्री गोमा)
11. भंवर पुत्र श्री बिरदा
12. खूमा पुत्र श्री हरि (मृतक)
13. शंकर पुत्र श्री हरि
14. छोगा पुत्र श्री घीसा (मृतक) जरिए वारिसानः—
    14/1 भंवरलाल पुत्र श्री छोगा (मृतक) जरिए वारिसानः—
    14/1/1 मीरा पत्नि भंवरलाल
    14/1/2 हुकमा पुत्र भंवरलाल
    14/1/3 महेन्द्र पुत्र भंवरलाल
    14/1/4 राजवीर पुत्र भंवरलाल
    14/1/5 लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल
    14/2 रतन पुत्र श्री छोगा
    समस्त जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर।
15. ललित जैन पुत्र श्री दीनानाथ जाति जैन निवासी ब्यावर रोड आदर्श नगर, अजमेर।
16. श्रीमती झुम्मी पत्नि छोगसिंह जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर।
17. श्रीमती जोगेन्द्र कौर धर्मपत्नि श्री हरनारायण सिंह छाबडा जाति सिख निवासी 417/10 बापू नगर, अजमेर।
18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।

**रेस्पोडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 राजस्व वाद संख्या 56/2009**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 18
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 16 अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः—25.05.2026**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 16 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण/अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजीयात है जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी बनाते समय सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान, मुंतकिल किए बिना कुछ आराजीयात अपीलांट्स के पूर्वजों के नाम दर्ज कर शेष अधिकतम आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गयी जिसकी दुरुस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा कई मर्तबा नोटिस प्रस्तुत किये गए लेकिन प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने जानबूझ कर अदम तामील लौटा दिये एवं दौराने वाद कई पक्षकारों का स्वर्गवास हो गया जिससे उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने एवं तलबी में प्रकरण चलता रहा लेकिन फिर भी सम्पूर्ण नोटिस तामील नहीं हो पाये जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र निरस्त फरमा दिया गया। यदि वाद पत्र गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाता है तो वादीगण/अपीलांट्स अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी भूमि से महरूम हो जायेंगे जिससे अपीलांट्स को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिससे वाद पत्र को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री मुर्तिब नहीं की गयी है लेकिन तलबी के अभाव में प्रकरण अदम पालना में निरस्त फरमाया गया है जो अमाउण्ट टू डिक्री होने के कारण निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री माना जाकर अपील ग्रहण किया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा दौराने अपील जवाब में कथन किया गया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 04.05.2009 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 30.03.2010, 04.05.2010, 11.05.2010, 13.05.2010, 30.04.2012, 10.04.2017, 16.09.2019, 16.12.2020, 10.02.2021, 24.02.2021, 07.04.2021, 11.05.2022, 12.10.2022, 12.04.2023 की पालना में शेष की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए हैं। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 30.03.2010 के पश्चात लगभग 13 अवसर दिए जाने व 13 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग 13 अवसर प्राप्त किए जाने के उपरांत भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। इसके बावजूद भी वादीगण/वकील वादीगण द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है ना ही नियमित रूप से जरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जान संभव नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआई आर 2003 राजस्थान 98 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 16.10.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 04.05.2009 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.03.2010 को वादी/अपीलांट को प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण 3, 6, 10 से 13, 15 की तलबी हेतु नोटिस तलवाने सही पते से पुनः पेश करने हेतु आदेशित किया गया। इस दौरान प्रकरण तारीख पेशियों में नियत रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की पालना में वादी/अपीलांट को दिनांक 04.05.2010, 11.05.2010, 13.05.2010, 30.04.2012, 10.04.2017, 16.09.2019, 16.12.2020, 10.02.2021, 24.02.2021, 07.04.2021, 11.05.2022, 12.10.2022, 12.04.2023 में कई अवसर प्रदान किए गए। दिनांक 18.09.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया व अगली तारीख पेशी पर न्यायालय के आदेश की पालना किए जाने हेतु आदेश दिया गया। बावजूद इसके वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 16.10.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

न्यायालय द्वारा लगभग 13 अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा न्यायालय आदेशों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2010 को अपीलांट को शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेश दिए गए थे परंतु प्रकरण में इतनी तारीख पेशियों के बावजूद भी अपीलांट द्वारा लगभग 14 वर्ष के लंबे अंतराल बाद भी प्रकरण में जागरूकता प्रकट नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है। चूंकि न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना ही आवश्यक नहीं है अपितु न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करना भी आवश्यक है व अपने प्रकरण के प्रति जागरूक रहकर अपने हक अधिकारों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा वर्तमान प्रकरण में लापरवाही प्रकट की गई है तथा प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखा गया है।

सिविल प्रक्रिया संहित–1908 के आदेश 9 नियम 2, 3 व 4 में प्रावधित नियमों का अवलोकन किया गया।

**आदेश–9 नियम 2–** जहां समनों की तामील खर्चे देने में वादी या अभिकर्ता के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है, वहां वाद का खारिज किया जाना।

**आदेश–9 नियम 3–** जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है वहां वाद का खारिज किया जाना।

**आदेश–9 नियम 4–** वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

वर्तमान प्रकरण में भी वादी/अपीलांट द्वारा समन प्रस्तुत नहीं कर, तामील नहीं करवाई गई है। अतः वादी/अपीलांट द्वारा सीपीसी के आदेश 9 की अवहेलना की गई है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष मान्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

*अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।*

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**